संख्या–645 / 9–आ–2–2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–2 लखनऊः दिनाँक–8 मार्च, 2001

विषय : सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किए जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद विभिन्न विकास प्राधिकरणों में एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटियों के पक्ष में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री किये जाने के समय संबंधित आवंटी की पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से डाला जाय, जब तक कि विवाह विच्छेद न हो चुका हो।

2. इसके अतिरिक्त पूर्व में संपत्तियां आवंटित की गयी हों उसमें भी संबंधित आवंटी के पति अथवा पत्नी, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री में सम्मिलित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु इसकी बाध्यता नहीं होगी। यह संबंधित आवंटी के द्वारा अनुरोध किए जाने एवं इस संशोधन हेतु आवश्यक व्यय भार वहन किए जाने की शर्त के अधीन किया जायेगा।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या 645 (1) / 9–आ–2–2001–तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महा निरीक्षक स्टाम्प, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आाज्ञा से

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव